न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 62/2022

शीर्षक

1. कपिल देव पुत्र आनन्द देव, जाति बलाई, निवासी 37, सुभाष मार्केट खेतडी नगर झून्झूनू (राज0)

–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र महादेव
2. किशनलाल पुत्र महादेव
3. रामगोपाल पुत्र महादेव
4. बिदामी पत्नि बनवारी
   समस्त जाति बलाई, निवासी मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश –7 नियम–1 जाप्ता दीवानी बाबत बटवारा (तकास्मा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 15/12/2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या –152 के खसरा नम्बर 105/0.48 किता–1 रकबा 0.48 है0, तथा हाल आराजी खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 101/0.03, 103/0.06, 115/0.27 कुल किता 3 रकबा 0.36 है0 तथा हाल आराजी खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 102/036, 114/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.64 है0 वाकै ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक वैधानिक बटवारा नही हुआ है। सभी खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आये है तथा पुख्ता तामीरात कर काबिज एवं आबाद रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण ने वादी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है, जिसके चलते आये वादी के काबिज काश्त मे मजाहमत पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नही रहा है। दिनांक 26.06.2022 को वादी प्रतिवादीगण के पास गया तथा सहमति से बटवारा करवाकर नम्बर अलग–अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये जिन्होने काफी समझाईश की लेकिन कानूनी बटवारा हेतु साफ तौर पर इंकार हो गये तथा एलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजी का किसी भी कीमत पर कानूनी बटवारा नही होने देगें तथा वादी के कब्जा काश्त में भी मजाहमत पैदा करेगे। इस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये जिनके विरूद्ध दिनांक 03.08.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक/भू.अ./2023/1485 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात भिजवाये गये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी के द्वारा अपनी सहमति प्रदान की तथा दावा अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मौका स्थिति अनुसार तैयार की गई है। बटवारा रिपोर्ट तैयार करते समय प्रतिवादीगण को भी सूचित किया गया है तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात का अवलोकन किये जाने पर सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता संख्या –152 के खसरा नम्बर 105/0.48 किता–1 रकबा 0.48 है0, तथा हाल आराजी खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 101/0.03, 103/0.06, 115/0.27 कुल किता 3 रकबा 0.36 है0 तथा हाल आराजी खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 102/036, 114/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.64 है0 वाकै ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

1. बिदामी पत्नी बनवारी जाति बलाई सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 114/1 रकबा 0.2775 है0, भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. किशनलाल , रामगोपाल, हनुमान पि0 महादेव जाति बलाई सा.देह खातेदार के खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.0040 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. कपिल देव पुत्र आनन्द देव जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 114/2 रकबा 0.0025 है0, 102/2 रकबा 0.3560 है0, 105 रकबा 0.48 है0, 101 रकबा 0.03 है0, 103 रकबा 0.06 है0, 115 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.1985 है0 भूमि हिस्से में रहेगी। खसरा नंबर 101 रकबा 0.03 है0, 103 रकबा 0.06 है0, 115 रकबा 0.27 है0 का 3/4 हिस्सा रहिन एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/4/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
शाहपुरा-जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 62/2022

शीर्षक

1. कपिल देव पुत्र आनन्द देव, जाति बलाई, निवासी 37, सुभाष मार्केट खेतडी नगर झून्झूनू (राज0)
–वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र महादेव
2. किशनलाल पुत्र महादेव
3. रामगोपाल पुत्र महादेव
4. बिदामी पत्नि बनवारी
समस्त जाति बलाई, निवासी मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
5. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)
– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश –7 नियम–1 जाप्ता दीवानी बाबत बटवारा (तकास्मा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक 15/2/2023

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खाता संख्या –152 के खसरा नम्बर 105/0.48 किता–1 रकबा 0.48 है0, तथा हाल आराजी खाता संख्या 144 के खसरा नम्बर 101/0.03, 103/0.06, 115/0.27 कुल किता 3 रकबा 0.36 है0 तथा हाल आराजी खाता संख्या 231 के खसरा नम्बर 102/036, 114/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.64 है0 वाकै ग्राम मामटोरी खुर्द, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. बिदामी पत्नी बनवारी जाति बलाई सा.देह खातेदार खसरा नम्बर 114/1 रकबा 0.2775 है0, भूमि हिस्से मे रहेगी।
2. किशनलाल , रामगोपाल, हनुमान पि0 महादेव जाति बलाई सा.देह खातेदार के खसरा नम्बर 102/1 रकबा 0.0040 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
3. कपिल देव पुत्र आनन्द देव जाति बलाई सा.देह के खसरा नम्बर 114/2 रकबा 0.0025 है0, 102/2 रकबा 0.3560 है0, 105 रकबा 0.48 है0, 101 रकबा 0.03 है0, 103 रकबा 0.06 है0, 115 रकबा 0.27 है0 कुल किता 6 रकबा 1.1985 है0 भूमि हिस्से में रहेगी। खसरा नंबर 101 रकबा 0.03 है0, 103 रकबा 0.06 है0, 115 रकबा 0.27 है0 का 3/4 हिस्सा रहिन एस.बी.आई. शाखा मनोहरपुर।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 15/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. ाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner